डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 133] रायपुर, रविवार , दिनांक 17 जून 2001—ज्येष्ठ 27, शक 1923

विधि, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जून 2001

क्रमांक 2989/21-प्रा/छग/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रकाशित किया गया निम्नलिखित (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 5 सन् 2001) सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

''छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 5 सन् 2001).''

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 5 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2001

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. II सन् 1915) को संशोधन करने हेतु विधेयक

यह भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2001 है.

(2) यह छत्तीसगढ़ राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

धारा 61-घ का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 61-घ की उपधारा (2) के खण्ड (तीन) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"(तीन) इस प्रकार विनिर्मित की गई देशी मदिरा को कब्जे में रखने की प्रति गृहस्थी अधिकतम सीमा किसी भी समय 5 लीटर होगी."

"यह विधेयक छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा गुरुवार, दिनांक 19 अप्रैल, 2001 को पारित किया गया."

रायपुर :
दिनांक 2 मई, 2001.

अध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर, दिनांक 13 जून 2001

क्रमांक 2989/21-प्रा/छग/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के उपखण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 5 सन् 2001) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा, प्रकाशन किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

CHHATTISGARH BILL
(No. 5 of 2001)

The Chhattisgarh Excise (Amendment) Bill, 2001

A Bill to amend the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. II of 1915)

Be it enacted by the Chhattisgarh legislature in the Fifty Second Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Excise (Amendment) Act, 2001 (No. 5 of 2001) **Short Title.**

   (2) It shall come into force in the whole of the State of Chhattisgarh from the date of its publication in the Gazette of Chhattisgarh.

2. For clause (iii) of sub-section (2) of Section 61-D of the Chhattisgarh Excise Act, 1915 the following clause shall be substituted namely :— **Amendment of Section 61-D.**

   "(iii) The maximum limit for possession of country spirit so manufactured shall be 5 litres per house-hold at any time."

Raipur :

Date 2 May, 2001.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.